

2025/511

ग्रामीण सेवा शिबिर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)
क्रमांक / रीडर / 2025 / 3776

दिनांक 16/10/2025

उपरोक्त प्रकरण जितेंद्र सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या - 192/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर में जरिये पत्रांक
01/भूअ./2025 दिनांक 18/03/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम वागारियावास पटवारी हत्का वागारियावास
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में नूमे खाता संख्या 55 में खाताधार जितेंद्र सिंह
पुत्र वज्रग सिंह के स्थान पर जितेंद्र सिंह उर्फ जितेंद्र सिंह पुत्र वज्रग सिंह
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हत्का वागारियावास
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3777-18

दिनांक 16/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ -

- 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
- 2 पटवारी हत्का वागारियावास तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

